न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 63 / 2025
जी.सी.एम.एस नं. : 2025 / 81

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– 1. श्री मयुर जोशी पुत्र श्री जगदीश जोशी, हनुमान मंदिर रोड, जीयो ऑफिस के पास, अरथुना, बांसवाडा (विक्रेता / मालिक) मैसर्स एम.जे. हॉम मार्ट, हनुमान मंदिर रोड, जीयो ऑफिस के पास, अरथुना, बांसवाडा 2. मैसर्स कोठारी जनरल स्टोर, नवागांव, परतापुर

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 07–04–2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रक़ार है कि **श्री शशिकांत शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **02–12–2025** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **03–12–2024** को 2.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉंच हेतु **मैसर्स एम.जे. हॉम मार्ट, हनुमान मंदिर रोड, जीयो ऑफिस के पास, अरथुना, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री मयुर जोशी पुत्र श्री जगदीश जोशी** उपस्थित थे। **विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स एम.जे. हॉम मार्ट, हनुमान मंदिर रोड, जीयो ऑफिस के पास, अरथुना, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर परिसर में **खाद्य पदार्थ Mix Namkeen (Amoul) काउन्टर पर** रखा पाया। जिसमे मिलावट का संदेह होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **खाद्य पदार्थ Mix Namkeen (Amoul) के 4 पैकेट प्रत्येक 400 ग्राम कुल 1600 ग्राम** वास्ते नमुना जॉच [illegible] कीमत 360 / – रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस [illegible] करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा [illegible] **Mix Namkeen (Amoul)** [illegible] प्रत्येक **400 ग्राम कुल 1600 ग्राम को 4 के चार नमूना** भाग तैयार कर प्रत्येक भाग [illegible] तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक **W-2001** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/15 दिनांक 15–01–2025 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1499 दिनांक 17–12–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ Mix Namkeen (Amoul)** का नमुना कोड क्रमांक **W-2001** Contains extraneous matter food under section 3(1)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **खाद्य पदार्थ Mix Namkeen (Amoul)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 02–12–2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

28–04–2026 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर परिवाद में अंकित आरोपो को स्वीकार कर नरमी का रुख अपनाकर न्यूनतम अर्थ दण्ड से दण्डित करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अप्रार्थी स्वयं द्वारा अपराध स्वीकार [illegible]या है अतः अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। अभिहित अधिकारी [illegible] सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/15 दिनांक 15–01–2025 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1499 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

17—12—2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ Mix Namkeen (Amoul)** का नमुना कोड क्रमांक **W-2001** Contains extraneous matter food under section 3(1)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस प्रकार प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(i) के तहत Contains extraneous matter **खाद्य पदार्थ Mix Namkeen (Amoul)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम—2006 की धारा 54 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री मयुर जोशी पुत्र श्री जगदीश जोशी, हनुमान मंदिर रोड, जीयो ऑफिस के पास, अरथुना, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स एम.जे. हॉम मार्ट, हनुमान मंदिर रोड, जीयो ऑफिस के पास, अरथुना, बांसवाडा को 15000/— (अक्षरे रू पंद्रह हजार मात्र), मैसर्स कोठारी जनरल स्टोर, नवागांव, परतापुर को 15000/— (अक्षरे रू पंद्रह हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800—अन्य प्राप्तियां, (03)—खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा—पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 28—04—2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:34 IST
Reason: SelfAttested